Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: UKM04

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UKPSC DLP विषय सूची (Contents)

1.	**हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप**	**7-11**
2.	**हिन्दी भाषा का विकास काल**	**12-19**
3.	**हिन्दी वर्णमाला में विराम चिह्न**	**20-22**
4.	**वाक्य-शुद्धि**	**23-35**
5.	**पर्यायवाची शब्द**	**36-42**
6.	**समानार्थक/समानार्थी शब्द**	**43-48**
7.	**विलोम शब्द**	**49-57**
8.	**अनेकार्थक/अनेकार्थी शब्द**	**58-67**
9.	**समूहवाची शब्द**	**68-69**
10.	**समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म)**	**70-83**
11.	**वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द**	**84-104**
12.	**संक्षिप्ताक्षर**	**105-106**
13.	**रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन (सरल, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य)**	**107-116**
	13.1 सरल वाक्य	107
	13.2 मिश्र वाक्य	110
	13.3 संयुक्त वाक्य	113
14.	**व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन**	**117-122**
	14.1 सकारात्मक (विधिवाचक) वाक्य	117
	14.2 नकारात्मक (निषेधवाचक) वाक्य	118
	14.3 प्रश्नवाचक वाक्य	120
	14.4 विस्मयादिबोधक वाक्य	120
	14.5 आदेशवाचक वाक्य	121
	14.6 इच्छार्थक वाक्य	121
	14.7 संकेतवाचक वाक्य	122
	14.8 संदेहार्थक वाक्य	122

15. स्लोगन (नारा) लेखन **123-130**

16. शब्द-शुद्धि **131-139**

17. शब्द-भेद [तत्सम, तद्भव, देशज (देशी), विदेशज (विदेशी) एवं संकर शब्द] **140-145**

18. रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द **146-146**

18.1 रूढ़ शब्द 146

18.2 यौगिक शब्द 146

18.3 योगरूढ़ शब्द 146

19. उपसर्ग एवं प्रत्यय **147-165**

19.1 उपसर्ग 147

19.2 प्रत्यय 150

20. संधि एवं समास **166-183**

20.1 संधि 166

20.2 समास 177

21. वचन एवं लिंग **184-186**

21.1 वचन 184

21.2 लिंग 186

22. व्याकरणिक कोटियाँ (परिभाषा एवं भेद) **187-206**

22.1 संज्ञा 187

22.2 सर्वनाम 192

22.3 क्रिया 193

22.4 क्रिया-विशेषण 196

22.5 विशेषण 199

22.6 अव्यय 206

23. वाच्य परिवर्तन (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य) **207-210**

24. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ (कहावतें) **211-235**

24.1 मुहावरे 211

24.2 लोकोक्तियाँ (कहावतें) 224

25. भाषा का मानकीकरण **236-247**

25.1 वर्तनी (हिन्दी) का मानकीकरण 238

25.2 हिन्दी व्याकरण का मानकीकरण 239

25.3 देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास 241

25.4 उच्चारण का मानकीकरण 243

26. कार्यालयी पत्रों के प्रारूप **248-267**

26.1 शासकीय पत्र 248

26.2 अर्द्ध-शासकीय पत्र 250

26.3 अधिसूचना 252

26.4 परिपत्र 254

26.5 कार्यालयादेश 257

26.6 कार्यालय ज्ञाप/ज्ञापन 258

26.7 अनुस्मारक 261

26.8 विज्ञप्ति 263

26.9 टिप्पणी एवं टिप्पण लेखन 265

27. पारिभाषिक शब्दावली **268-280**

28. हिन्दी भाषा का कंप्यूटरीकरण (शब्द संसाधन, डाटा प्रविष्टि एवं मुद्रण) **281-296**

28.1 हिन्दी भाषा का कंप्यूटरीकरण 281

28.2 शब्द संसाधन 282

28.3 डाटा प्रविष्टि 288

28.4 मुद्रण 291

29. गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर (शीर्षक, भावार्थ एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या) **297-307**

30. गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर (शीर्षक, संक्षेपण एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या) **308-319**

31. इंटरनेट तथा ई-मेल **320-324**

31.1 इंटरनेट 320

31.2 ई-मेल 323

अध्याय
1

हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप

विश्व में प्रचलित हज़ारों भाषाओं में एक प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण भाषा हिन्दी भी है। विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी प्रमुखता से स्थापित है। हिन्दी न केवल भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, वरन् भारत के बाहर भी भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देश, यथा-फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो आदि देशों की भी भाषा है। इस प्रकार हिन्दी सांख्यिक और समृद्धि दोनों दृष्टिकोण से विश्व की प्रमुख भाषा है।

'भाषा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'भाष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है–व्यक्त करना अथवा कहना। संस्कृत में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप 'भाषा' वह वाचिक माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार भाषा मनुष्य के मनोभावों के पारस्परिक आदान-प्रदान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम के समान ही लेखन भी भाषा का महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है, जो लिपि-चिह्नों के प्रयोग से संभव हुआ है। इसी तरह सांकेतिक माध्यम भी भाषा का एक अन्य माध्यम है। संक्षेप में भाषा के उपर्युक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने अन्यान्य भावों एवं विचारों की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति ही है।

भाषा के अर्थ स्पष्टीकरण हेतु हिन्दी के भाषाविदों ने इसे अपने-अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में, "उच्चरित ध्वनि-संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि-संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं।"

डॉ॰ भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

एक **पाश्चात्य विद्वान क्रोचे** ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, ''भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिये संगठित करते हैं।''

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान वेंद्रे के शब्दों में, ''भाषा मनुष्यों के बीच संचार-व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है।''

विशेषता : उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर भाषा की कुछ निश्चित विशेषताएँ चिह्नित होती हैं, जैसे–

(क) भाषा का संबंध मात्र मनुष्य से है।
(ख) भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है।
(ग) भाषा प्रतीकात्मक (लेखन रूप में) होती है।
(घ) भाषा के सार्थक ध्वनि-संकेतों से मनोभाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं विनिमय होता है।
(ङ) भाषा के ध्वनि-संकेत उच्चारण में वर्णों एवं शब्दों में व्यक्त होते हैं।
(च) भाषा परिवर्तनशील होती है।
(छ) परिवर्तनशील प्रकृति के कारण भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती है।
(ज) भाषा क्षेत्रीय सीमा से बँधी होती है।
(झ) भाषा का अस्तित्व सांस्कृतिक विकास-पतन से सीधा जुड़ा होता है।

भाषा की प्रकृति

भाषा विशेष के गुण अथवा स्वभाव को उस भाषा की प्रकृति कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा के अपने गुण-अवगुण एवं प्रकृति होती है। भाषा की प्रकृति नदी के जल के समान होती है। नदी के जल के प्रवाह के समान ही भाषा भी देश, काल और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप का विकास करती रहती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति भी है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी परंपरागत रूप से प्रवहमान होती रहती है। साथ ही मनुष्य अपने काल एवं परिवेश से अर्जित भी करता है। प्रायः भाषा के दो मान्य रूप हैं–कथित (बोल-चाल) एवं लिखित। इन दोनों रूपों में भाषा के उद्देश्य-औचित्य

भाषा-विज्ञान ने पश्चिमी हिन्दी के अंतर्गत पाँच प्रमुख बोलियों में खड़ी बोली को स्रोत-भाषा के आधार पर हिन्दी का मानकीकरण किया है। यह खड़ी बोली ठेठ रूप में काफी बड़े भू-भाग (अंबाला, देहरादून, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर ज़िलों) में बोली जाती है, जिनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। इसके बावजूद हिन्दी के मानक रूप और वर्तमान मेरठ की खड़ी बोली (हिन्दी) में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। संपूर्ण राष्ट्रवासी एकरूप हिन्दी बोलें, साहित्यिक सृजन में भी यही भाव दिखे, हिन्दी के स्वरूप में व्याप्त विभिन्नता को मिटाकर एकरूपता लाना, मानकीकरण का प्रमुख उद्देश्य रहा है। मेरठ की खड़ी बोली से हिन्दी के मानकीकरण की डेढ़-दो सौ वर्षों की यात्रा में परिष्कार, संशोधन तथा समन्वय की अनेक स्थितियों से हिन्दी को गुजरना पड़ा है और यही मूल कारण है कि मानक हिन्दी अपनी स्रोत-भाषा (खड़ी बोली) से नितांत भिन्न हो गई है। इन दोनों के बीच प्रमुख अंतर अति संक्षेप रूप में निम्नांकित हैं–

(क) मानक हिन्दी में द्वित्व ध्वनियाँ नहीं हैं, जबकि पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली में आज भी इसकी प्रधानता है। इन उदाहरणों पर ध्यान दें–

पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी	पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी
देक्खा	देखा	धोत्ती	धोती
बेट्टी	बेटी	गाड्डी	गाड़ी
रोट्टी	रोटी		

(ख) क्रिया-रचना के दृष्टिकोण से भी दोनों के बीच पर्याप्त अंतर है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें–

पश्चिमी हिन्दी (वर्तमान काल में)	मानक हिन्दी
चाल्लू हूँ।	चलता हूँ।
चले है।	चलता हूँ।
मारूँ था।	मारता था।

इसी तरह, 'उठ्या', 'चल्या', 'लिख्या' आदि भूतकालिक क्रिया का मानक रूप क्रमशः 'उठा', 'चला', 'लिखा' हो गया है।

(ग) कारक के विभक्ति-चिह्नों में भी दोनों के मध्य काफी अंतर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दें–

कारक	पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी	कारक	पश्चिमी हिन्दी (खड़ी बोली)	मानक हिन्दी
कर्त्ता	णै, नै	ने	संप्रदान	कू, णे, ने	के लिये
कर्म	क, नै	को	अपादान	सु, सै	से
करण	मू, सै	से	अधिकरण	उप्पर, पै	में, पर

(घ) सार्वनामिक अंतर-मुज → मुझ, म्हारा → हमारा आदि।

(ङ) क्रिया-विशेषण संबंधी अंतर– इब → अब, इभी → अभी, क्यूँ → क्यों, जाँ → जहाँ, ह्याँ → वहाँ आदि।

(च) स्त्रीलिंग प्रत्यय-संबंधी अंतर–पंडतानी → पंडितानी, सुनारण → सुनारिन आदि। (पश्चिमी हिन्दी-प्रत्यय– 'इन', 'अण'; मानक हिन्दी-प्रत्यय–'इन')

इस प्रकार हिन्दी के मानकीकरण में भले ही पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली को स्रोत या आधार भाषा के रूप में लिया गया हो, परंतु मानक हिन्दी इससे नितांत भिन्न होते हुए स्वतंत्र प्रकृति और पहचान बनाने में सफल रही है। मानक हिन्दी हर स्तर और रूप में हिन्दी से बहुत आगे निकल गई है। इसने अपनी भाषायी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप अन्यान्य देशी एवं विदेशी भाषाओं से ग्राह्य सामग्रियों को ग्रहण कर समृद्ध भाषा का मार्ग प्रशस्त किया है, जो न केवल उसके राष्ट्रभाषा के गौरव के अनुकूल है, वरन् विश्व की तृतीय प्रमुख भाषा की प्रसिद्धि के अनुरूप भी है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर सीमा : 20 शब्द)

1. भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
2. भाषा के प्रमुख मान्य रूप कौन-कौन से हैं?
3. हिन्दी व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में लिखिये।
4. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा को परिभाषित कीजिये।

अध्याय
2

हिन्दी भाषा का विकास काल

हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है, जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्यभाषाओं का विकास अलग-अलग पद्धति से हुआ है। भारतीय आर्यभाषा के विकास को प्रायः तीन चरणों में विभक्त किया जाता है–

- **प्राचीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना गया है। इसके अंतर्गत दो स्थितियाँ शामिल हैं-
  - वैदिक संस्कृत (2000 से 1000 ई.पू.) तथा
  - लौकिक संस्कृत (1000 से 500 ई.पू.)
- **मध्यकालीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं का विकास काल 500 ई.पू. से 1000 ई. तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत चार चरण मिलते हैं-
  - पालि (500 ई.पू. से ईसवी सन् के आरंभ तक)
  - प्राकृत (ईसवी सन् के आरंभ से 500 ई. तक)
  - अपभ्रंश तथा अवहट्ट (500 ई. से 1100 ई. तक)
- **आधुनिक आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 1100 ई. से अभी तक माना जाता है। इनमें हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

हिन्दी भाषा का विकास-क्रम

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है, जिसका विकास मूलतः प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिन्दी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्यभाषाएँ कहते हैं। अतः हिन्दी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्यभाषाओं से आरंभ करना उचित प्रतीत होता है।

हिन्दी का उद्भव कब हुआ, इस पर भाषा-विज्ञानियों में गंभीर मतभेद हैं। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिन्दी का विकास मान लेना चाहिये तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिन्दी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिये और हिन्दी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिन्दी से मानी जानी चाहिये।

वर्तमान भाषा-विज्ञान में सामान्यतः पुरानी हिन्दी से ही हिन्दी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिन्दी का आरंभ लगभग 1100 ई. में हो गया था। किंतु यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि तब से आज तक की विकास-यात्रा कई अलग-अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिन्दी के विकास को भी तीन चरणों में बाँटा जाता है-

- प्राचीन हिन्दी (1100 ई. से 1350 ई. लगभग)
- मध्यकालीन हिन्दी (1350 ई. से 1850 ई. लगभग)
- आधुनिक हिन्दी (1850 ई. से अभी तक)

प्राचीन हिन्दी

प्राचीन हिन्दी, पुरानी हिन्दी तथा आरंभिक हिन्दी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्रायः समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिये गए हैं। इस काल में हिन्दी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिन्दी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्वपीठिका ज़रूर दिखाई देती है। इस काल में हिन्दी भाषा अपभ्रंश के केंचुल को धीरे-धीरे छोड़कर हिन्दी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी।

अध्याय
3

हिन्दी वर्णमाला में विराम चिह्न

विराम शब्द का अर्थ 'ठहरना' या 'रुकना' होता है। विराम चिह्नों का प्रयोग लेखन कार्य में उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम किसी कार्य को करते समय बीच-बीच में रुकते हैं। इन चिह्नों के प्रयोग करने का मूल उद्देश्य यह होता है कि लेखन कार्य में भावों एवं विचारों का सही प्रारूप में प्रस्तुतीकरण किया जा सके, जिससे पाठक को उस लेख का सही भाव समझ में आ सके।

विराम चिह्नों के प्रकार

हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले महत्त्वपूर्ण विराम चिह्न निम्नलिखित हैं–

विराम चिह्न		
● अल्प विराम (Comma)	→	,
● अर्द्ध विराम (Semi Colon)	→	;
● विस्मय विराम (Note of Exclamation)	→	!
● पूर्ण विराम (Full Stop)	→	।
● प्रश्न विराम (Note of Interrogation)	→	?
● निर्देशक चिह्न/रेखिका (Dash)	→	–
● योजक (Hyphen)	→	-
● अपूर्ण/न्यून विराम (Colon or Colon Dash)	→	:/:
● लोप विराम/वर्जन-चिह्न	→	.. .. ..
● अवतरण विराम/उद्धरण-चिह्न	→	‘’, “ ”
● कोष्ठक (Brackets)	→	( ), { }, [ ]
● तुल्यता सूचक चिह्न	→	=
● लाघव विराम/संक्षेप सूचक	→	o
● समाप्ति सूचक	→	- - o - -, - - - -

अल्प विराम चिह्न

अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ, थोड़ा ठहरना या रुकना होता है। जब भाषा को पढ़ते एवं बोलते समय अल्प समय के लिये रुकने/ठहरने की स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे– मोहन, सोहन और राम खेल रहे हैं।

राधा, सुशीला और नीता घर जा रही हैं।

बस, हो गया, रहने दो।

अर्द्ध विराम

अर्द्ध-विराम चिह्न पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के विराम के समय उपयोग में लाया जाता है। इस कारण इसके प्रयोग की स्थिति भिन्न होती है। सामान्यत: किसी वाक्य में स्वतंत्र वाक्यों की संख्या एक से अधिक होती है जिसके कारण उन्हें अलग-अलग रखने या एक वाक्यांश/शब्द-समूह के दूसरे वाक्यांश/शब्द-समूह से भिन्न दर्शाने के लिये अर्द्ध विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है।

जैसे- मनोज सुंदर था; नवयुवक था; सुगठित शरीर का स्वामी था। सूर्योदय हुआ; सूर्य की लालिमा बिखरी; पक्षियों का कोलाहल शुरू हो गया; घर के सारे बच्चे जाग उठे।

अध्याय
4

वाक्य-शुद्धि

शुद्ध एवं त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य-रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं और इन्हीं के आधार पर भाषायी शुद्धता की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, भले ही अभिव्यक्ति का माध्यम लेखन हो अथवा वाचन (वार्ता)। हिन्दी में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हेतु वाक्य-रचना के अन्यान्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत है।

वाक्य-रचना के नियम

भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह कमोबेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द-समूह का योग होता है और ये शब्द-समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं, तदुपरांत ही विचार/भाव की सार्थक एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य-रचना हेतु निम्न विधान का ज्ञान होना अति आवश्यक है–

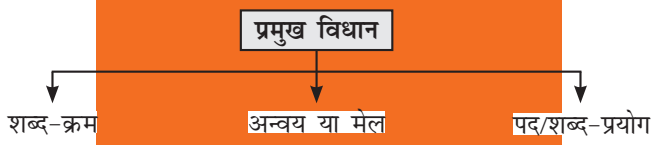

शब्द-क्रम

'शब्द-क्रम' का अर्थ है– शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य-रचना के विधानानुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है, जब उसमें प्रयुक्त शब्द-समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है। अतः शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन (वार्ता) हेतु शब्द-क्रम संबंधी विधान (नियमों) का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ इन नियमों का क्रमिक विवरण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है–

- **वाक्य-रचना में सर्वप्रथम (प्रारंभ में) कर्त्ता, तत्पश्चात् कर्म एवं अंत में क्रिया की प्रयुक्तता होनी चाहिये।**
  उदाहरण– मैं किताब पढ़ता हूँ। राम ने भोजन किया। श्याम स्कूल गया।
  इन वाक्यों में 'मैं', 'राम' और 'श्याम' कर्त्ता होने के कारण वाक्य के प्रारंभ में, जबकि 'किताब', 'भोजन' और 'स्कूल' कर्म होने के कारण वाक्य के मध्य में और 'पढ़ता हूँ', 'किया' और 'गया' क्रमशः क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आए हैं।
- कर्त्ता के विस्तार (उद्देश्य) को कर्त्ता के पूर्व तथा क्रिया के विस्तार (विधेय) को क्रिया के पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें।
  उदाहरण– **नम्र** व्यक्ति **नम्रतापूर्वक** बात करते हैं। **अच्छे** विद्यार्थी **धीरे-धीरे** लिखते हैं।
  इन वाक्यों में 'नम्र' एवं 'अच्छे' जो कर्त्ता-विस्तार हैं, क्रमशः कर्त्ताद्वय 'व्यक्ति' एवं 'विद्यार्थी' के पूर्व आए हैं, जबकि 'नम्रतापूर्वक' एवं 'धीरे-धीरे' क्रिया-विस्तार होने के कारण क्रमशः क्रियाद्वय 'बात' और 'लिखते' से पहले आए हैं।
- **वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक को क्रमागत (क्रमिक) रूप से कर्त्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिये।**
  उदाहरण– राम ने गाड़ी **में** (अधिकरण) रखी थैली **से** (अपादान) बच्चों **के लिये** (संप्रदान) अपने हाथ **से** (करण) टॉफियाँ निकालीं।
- **संबोधन कारक के विभक्ति-चिह्न वाक्य में सदैव प्रारंभ में प्रयुक्त किये जाने चाहियें।**
  उदाहरण– **हे ईश्वर!** इस भीषण कष्ट से मुझे मुक्ति दे दो।
  अहा! क्या मनोरम/मनभावन दृश्य है।

अध्याय
5

पर्यायवाची शब्द

जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो अर्थात् जो अर्थ की दृष्टि से समान हों, 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात् करने के कारण हिन्दी में पर्यायवाची शब्द बहुलता में हैं। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द

शब्द	पर्यायवाची	शब्द	पर्यायवाची
आम	सहकार, रसाल, आम्र, अंब, अमृतफल, पिकबंधु, पियंबु, अतिसौरभ	प्रशंसा	स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना
अग्नि	आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृषानु, रोहिताश्व, वैश्वानर, वह्नि, वायुसखा	तरंग	उर्मि, लहर, वीचि, हिलोर,
पत्थर	प्रस्तर, पाहन, उपल, अश्म, संग, पाषाण	जंगल	कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन
यमुना	सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवितनया, कृष्णा	किनारा	सिरा, छोर, तीर, तट, कूल, पुलिन
समुद्र	जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अब्धि	भिक्षुक	मधुकर, याचक, भिखारी, भिखमंगा
नदी	निम्नगा, अपगा, कूलवती, तरंगिनी, सिंधुगामिनी, तटिनी, सरिता, निम्ना, स्रोतस्विनी	हाथी	गज, कुंजर, करि, दंती, हस्ति, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग
स्वर्ण	हेम, हाटक, हिरण्य, जातक, पुष्कल, रुक्म, जातरूप	कामदेव	मदन, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, कामग, मकरध्वज, मनोभव, मनोज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कंदर्प, मार, स्मर, पुष्पधन्वा, मन्मथ, कुसुमशर, अतनु
इंद्र	शचीपति, मधवा, शक्र, सहस्राक्ष, सुरेन्द्र, कौशिक, विडौला, अमरपति, वासव, जिष्णु, पुरुहूत	जीभ	रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, चंचला
सिंह	पंचानन, नाहर, मृगारि, केहरि, शार्दूल, मृगेंद्र	नैसर्गिक	प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक
घर	निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह	हाथ	हस्त, कर, पाणि, भुजा, बाहु
मछली	झष, सफरी, मीन, मत्स्य	चांदनी	चंद्रातप, ज्योत्स्ना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृत-कर्णिका
कपड़ा	पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, दुकूल	सरस्वती	महाश्वेता, वागीशा, भारती, वीणापाणि, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा
तालाब	सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्माकर, कासार, ह्रद	लक्ष्मी	पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा
प्रभात	प्रातः, सवेरा, उषा, अरुणोदय	विष्णु	जनार्दन, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, जलशायी
दर्पण	शीशा, आईना, प्रतिबिंबक, प्रतिमान	बगीचा	आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी

अध्याय
6

समानार्थक/समानार्थी शब्द

समानार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, जिनके अर्थ समान या एक हों। समानार्थक शब्दों के अर्थ की समानता के कारण ही इन्हें- एकार्थी शब्द, प्रतिशब्द, पर्यायवाची शब्द तथा समानार्थी शब्द आदि भी कहा जाता है।

- हिन्दी की उत्पत्ति तथा रूपरेखा संपूर्ण रूप से संस्कृत पर ही आधारित है तथा समानार्थक शब्दों की श्रेणी में सम्मिलित अधिसंख्य शब्द संस्कृत के मूलशब्द या तत्सम हैं।
- वर्तमान समय में हिन्दी के समानार्थक शब्द-भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द शामिल हैं।

यद्यपि समानार्थक शब्दों के अर्थ समान होते हैं, लेकिन यह मानना पूर्णत: मूर्खता होगी कि एक वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर अन्य समानार्थक शब्द के प्रयोग करने पर उसके अर्थ में अशुद्धि नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि समानार्थी शब्द होने के बावजूद किसी वाक्य में इनके प्रयोग की विधि सदैव सही नहीं होती क्योंकि इनका महत्त्व विषय और स्थान के अनुसार होता है, सिवाय कुछ अपवाद को छोड़कर। इस तथ्य को इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है, जैसे- 'भिखारी मुँह लटकाए बैठा है।' इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द 'लटकाए' (मूल शब्द लटकना) का समानार्थक शब्द है- 'टाँगे' (मूल शब्द टाँगना)। अब यदि इस वाक्य में 'लटकाए' के स्थान पर 'टाँगे' शब्द का प्रयोग करें, तो वाक्य होगा- 'भिखारी मुँह टाँगे बैठा है।' इस प्रकार यह वाक्य पहले वाले वाक्य के समान, स्पष्ट, सटीक तथा सार्थक न होकर बिल्कुल अस्पष्ट, अशुद्ध एवं अटपटा है। अत: यह विशेष रूप से स्मरणीय होना चाहिये कि समानार्थक शब्दों को आँख बंद कर प्रयोग करने के बजाय विषय एवं स्थान को ध्यान में रखकर ही प्रयोग किया जाए।

समानार्थक शब्द-प्रयोग में भिन्नता के कारण ही इसे तीन प्रकारों में विभेदित किया गया है, ताकि इन शब्दों का सही प्रयोग हो सके।

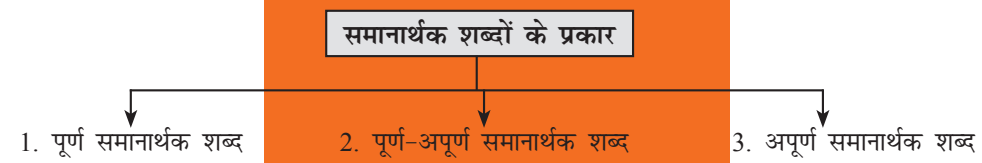

पूर्ण समानार्थक शब्द

पूर्ण समानार्थक शब्द से तात्पर्य वैसे समानार्थक शब्दों से है जिनका प्रयोग वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थक शब्द प्रयोग किया जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा वाक्य में अशुद्धि भी नहीं होती है, जैसे- भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा आदि। इसी प्रकार जल, पानी, कष्ट, तकलीफ आदि अन्य उदाहरण हैं। इन सभी शब्दों के स्थान पर उनका समानार्थक शब्द प्रयोग करने पर अर्थ में कोई अंतर नहीं होता।

पूर्ण-अपूर्ण समानार्थक शब्द

पूर्ण-अपूर्ण समानार्थक शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो एक प्रसंग में तो पूर्ण समानार्थक शब्द के समान प्रयुक्त होते हैं लेकिन दूसरे प्रसंग में अपूर्ण, अर्थात् समानार्थक नहीं होते हैं जिसके कारण इनकी प्रयुक्ति भी पूर्ण समानार्थक शब्द के समान नहीं होती है।

- पूर्ण समानार्थक के उदाहरण पर गौर करें: जैसे वह कपड़े टाँग रहा है। इसमें प्रयुक्त शब्द 'टाँग' (मूल शब्द-टाँगना) का समानार्थक शब्द लटका (मूल शब्द-लटकाना) है। अब यदि इस शब्द को 'टाँग' के स्थान पर प्रयोग करें तो वाक्य होगा- वह कपड़े लटका रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता और न ही वाक्य-रचना में अशुद्धि।

अध्याय
7

विलोम शब्द

सामान्य अर्थों में किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को **विलोम** या **विपरीतार्थक शब्द** कहते हैं। विलोम शब्द सजातीय होते हैं, जैसे– संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होता है।

सामान्यतया अ, अप, अन्, निस, निर, वि, प्रति, दुर, दुस्, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे- लाभ का विलोम हानि। अगर 'लाभ' का विलोम 'अलाभ' लिया तो इससे भाषा की सुंदरता प्रभावित होगी, जबकि 'अलाभ' शब्द 'लाभ' का विपरीतार्थक शब्द है। अतः उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों के द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा-स्थिति के साथ विलोम का चयन किया जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
प्रतिकूल	अनुकूल	उपमेय	अनुपमेय	आमिष	निरामिष	श्रोता	वक्ता
अध्यवसाय	अनध्यवसाय	सुलभ	दुर्लभ	ईप्सित	अनीप्सित	न्यून	अधिक
बर्बर	सभ्य	दीर्घायु	अल्पायु	स्वजाति	विजाति	धृष्ट	विनम्र
ध्वंस	निर्माण	तृष्णा	वितृष्णा	चुस्त	ढीला	स्थिर	अस्थिर
अनिवार्य	ऐच्छिक	निषिद्ध	विहित	सुमति	कुमति	विभव	पराभव
यथार्थ	कल्पित, काल्पनिक	भूगोल	खगोल	अभिशाप	वरदान	जारज	औरस
चिरंतन	नश्वर	सहयोगी	प्रतियोगी	उपादेय	अनुपादेय	मसृण	रुक्ष
नैसर्गिक	कृत्रिम	जोड़	घटाव	परमार्थ	स्वार्थ	स्वर्ग	नरक
नर	नारी	पोषक	शोषक	विज्ञ	अज्ञ	आध्यात्मिक	सांसारिक
व्यष्टि	समष्टि	विधि	निषेध	संधि	विग्रह	संन्यास	गृहस्थ
नूतन	पुरातन	कर्मण्य	अकर्मण्य	महात्मा	दुरात्मा	अति	अल्प
आविर्भाव	तिरोभाव	विनीत	उद्धत	सूक्ष्म	स्थूल	इति	अथ
तरुण	वृद्ध	मंडन	खंडन	आगामी	विगत	ग्रहण	अर्पण
ह्रस्व	दीर्घ	स्थावर	जंगम	प्रधान	गौण	सरल	कठिन
शुष्क	आर्द्र, सिक्त	अनंत	अंत	विशेष	सामान्य	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन
संपन्न	विपन्न	थोक	फुटकर	समस्या	समाधान	यश	अपयश
उपेक्षा	अपेक्षा	पुरस्कार	दंड	अंतर्द्वंद्व	बहिर्द्वंद्व	संश्लेषण	विश्लेषण
गणतंत्र	राजतंत्र	कीर्ति	अपकीर्ति	अलभ्य	लभ्य	भाव	अभाव
परतंत्र	स्वतंत्र	असीम	ससीम	अपव्यय	मितव्यय	दुःखी	सुखी
सृष्टि	प्रलय	अथ	इति	अल्पज्ञ	बहुज्ञ	विवेकी	अविवेकी
साहचर्य	अलगाव	भिज्ञ/अभिज्ञ	अनभिज्ञ	उत्कृष्ट	निकृष्ट	दानव	मानव
विराट्	क्षुद्र/सूक्ष्म	अज्ञ	विज्ञ	कृश	पुष्ट	अधोगामी	ऊर्ध्वगामी

अध्याय
8

अनेकार्थक/अनेकार्थी शब्द

अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द का अर्थ- अनेक अर्थों वाला शब्द अर्थात् वैसे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वे अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं।

उदाहरण के लिये एक शब्द '**अंकुश**' लेते हैं, देखते हैं कि इसके एक से अधिक अर्थ हैं, जैसे- **नियंत्रण, दबाव, हाथी को चलाने-रोकने के लिये लघु लौह-उपकरण** आदि। अब इन शब्दों के वाक्य प्रयोग पर ध्यान देते हैं-

- आवारा बेटे माता-पिता के **अंकुश** से बाहर होते हैं। **(नियंत्रण)**
- महावत (हाथी-चालक) बिना **अंकुश** के सुरक्षित हाथी-सवारी नहीं कर सकता।
- जागरूक जनता के **अंकुश** से ऑफिस-कर्मचारी ससमय कार्य-निष्पादन कर रहे हैं। (दबाव)।

इन वाक्यों को देखने पर हमें ज्ञात (स्पष्ट) होता है कि किस प्रकार एक शब्द 'अंकुश' का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है तथा इन सब वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से कोई अस्पष्टता भी नहीं है। वस्तुतः अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द की यही प्रमुख विशेषता है तथा इसी कारण इसकी स्वीकार्यता किसी खास प्रकार के संदेह से रहित है। अच्छे तथा गुणवत्तापूर्ण लेखन और वाचन (वार्ता) में अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द की प्रयुक्तता स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है।

अन्य शब्द-रूपों समानार्थक, विलोम, शब्द-युग्म (सम्मोच्चारित भिन्नात्मक शब्द) के समान ही अनेकार्थक शब्द-संख्या अधिकाधिक है, परंतु पूर्ण उल्लेख संभव नहीं, फिर भी महत्त्वपूर्ण शब्दों का विस्तृत उल्लेख निम्नलिखित है-

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण शब्द एवं संबंधित अनेकार्थक/अनेकार्थी शब्द

'अ' वर्ण से संबधित

शब्द	अनेकार्थक/अनेकार्थी शब्द
अंक	गिनती की संख्या, गोद, पत्र-पत्रिका का नंबर, नाटक का अध्याय
अंकुश	नियंत्रण, दबाव, हाथी को चलाने-रोकने का लघु लौह-उपकरण
अंकोर	कलेवा, गोद, दुपहरी, भेंट, रिश्वत
अंग	अंश, शरीर का कोई अवयव, शाखा, टुकड़ा, पक्ष, भेद
अंचल	शासन-इकाई (प्रादेशिक), साड़ी का पल्लू, सिरा, छोर
अंत	मृत्यु, समाप्ति, भेद/रहस्य, सिरा
अंतरंग	आंतरिक, गुप्त, घनिष्ठ
अंतर	भिन्नता, दूरी, फर्क, अंतःकरण, मध्यवर्ती समय
अंब	आम का वृक्ष, आम का फल, माता, दुर्गा
अंबक	आँख, ताँबा, पिता
अंबर	आकाश, बादल, वस्त्र
अंबुज	कमल, बेंत, ब्रह्मा, वज्र, शंख
अंभोज	मोती, कमल, सारस, चाँद
अकड़ना	टेढ़ा होना, घमंड करना, दुराग्रह करना
अर्क	सूर्य, इंद्र, काढ़ा, स्फटिक, मदार का पौधा
अथ	आगे, अगुवा, सिरा, श्रेष्ठ, शिखर, नोक, पहले, मुख्य
अग्नि	आग, पिंगल, मात्रा, कौशल, वृद्धि, जिह्वा, विभूति, तेज, लीला, वर्णवृत
अड्डा	ठिकाना, चौखट/चौखटा, कबूतर-खोप (घर)

अध्याय
9

समूहवाची शब्द

समूहवाची शब्द का तात्पर्य ऐसे शब्द जिनका प्रयोग समूह के संदर्भ में किया जाता है अर्थात् हिन्दी भाषा में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के समूह के संदर्भ में जिन शब्दों का उपयोग करना सर्वाधिक उचित होता है। वे शब्द समूहवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे-

- 'गड्डी' नामक समूहवाची शब्द का प्रयोग नोटों के संदर्भ में किया है। (क्योंकि गड्डी नोटों की होती है।)
- 'टुकड़ी' नामक समूहवाची शब्द का प्रयोग 'सेना' के संदर्भ में किया है। (क्योंकि टुकड़ी सेना की होती है।)

समूहवाची शब्द से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण समूहवाची शब्द एवं जिसके संदर्भ में किये जाते हैं, उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो निम्नलिखित हैं-

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण समूहवाची शब्दों का उल्लेख

समूहवाची शब्द	जिनके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है
कुंज	लताओं का
गट्ठर	लकड़ियों का, कपड़ों का
गुलदस्ता	फूलों का
गिरोह	डाकुओं का, लुटेरों का,
गुच्छा	चाबियों का, अंगूर का
गड्डी	नोटों की
दशक	दस का समूह
जोड़ा	दो का समूह
शतक	सौ का समूह
भीड़	लोगों की, हड़तालियों की
मंडली	भक्तों की, गायकों की
दल	घुड़सवारों का, टिड्डियों का
टीम	खिलाड़ियों की
ढेर	मिट्टी का, रेत का, गेहूँ या अनाज का
झुंड	हाथियों का, पशुओं का, वृक्षों का
छत्ता	मधुमक्खियों का
जोड़ा	वर-वधू का, जूतों का
जत्था	यात्रियों का, आंदोलनकारियों का, सेना का
समूह	दर्शकों का, तारों का, लोगों का
रेवड़	भेड़-बकरियों का झुंड
शृंखला	पर्वत की, मानव की
लश्कर	सेना का
अड्डा	बसों का, जुए का
लच्छी	धागे या ऊन का
पुस्तकालय	पुस्तक/किताब

अध्याय
10

समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म)

समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म) से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है, जिनकी संख्या हिन्दी में अत्यधिक है, जो वर्ण और मात्रा के सूक्ष्म अंतर के बावजूद मोटे तौर पर देखने में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका यह सूक्ष्म अंतर उनके अर्थों में अंतर ला देता है। ऐसे शब्दों को समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म) कहा जाता है।

यदि भूलवश ऐसे शब्द-युग्म में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे- शब्द-युग्म 'अगम' व 'आगम' को लें जिनके अर्थ क्रमशः 'दुर्गम व प्राप्ति, शास्त्र' हैं। इन शब्दों के अर्थों के अंतर को जाने बिना एक की जगह पर दूसरे शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य है कि छात्र समुचित रूप से इन शब्द-युग्मों का अध्ययन करें, ताकि वे सही शब्द-युग्म का प्रयोग करने में सक्षम हो सकें। ऐसे समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म) को समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, समानभासी भिन्नार्थक शब्द, समोच्चरित शब्द आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म) का अर्थ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अजर	देवता, जो बूढा न हो	अमित	बहुत	आदि	प्रथम, प्रारंभ, वगैरह
अजिर	आँगन	अमीत	शत्रु	आदी	अभ्यस्त
अनिल	वायु, हवा	अंस	कंधा	आरति	विराम
अनल	अग्नि	अंश	हिस्सा, भाग	आरती	पूजा के लिये दीपक, नीराजन
अश्व	घोड़ा	अपेक्षा	आवश्यक	आवरण	पर्दा
अश्म	पत्थर	उपेक्षा	निरादर, अवहेलना	आमरण	मृत्यु तक
अगम	संभव नहीं	अनिष्ट	बुरा	असन	भोजन
आगम	पुराण, आगमन	अनिष्ठ	निष्ठा-रहित	आसन	बैठने की जगह
अंब	माता	अवलंब	सहारा	आदेश	आज्ञा
अंबु	जल	अविलंब	बिना देर किये, तुरंत	उपदेश	शिक्षा, सीख
अक्षि	आँख	अवधि	समय सीमा	आहार	भोजन
अक्षी	आँखवाली	अवधी	हिन्दी की एक बोली	उपहार	भेंट
अभिज्ञ	जानकार	अभिराम	सुंदर	इति	समाप्ति
अनभिज्ञ	अनजान	अविराम	निरंतर, बिना रुके	ईति	दैवी प्रकोप, बाधा
अनुभव	तजुर्बा	अलि, आलि	भौंरा	उद्यत	तैयार
अभिनव	नया	अली, आली	सखी	उद्धत	अक्खड़
उपयोग	व्यवहार में लेना	कंगाल	निर्धन	तरणि	सूर्य
उपभोग	भोगना	कंकाल	अस्थि-पंजर	तरणी	नाव
उत्पाद	उत्पन्न वस्तु	कृतज्ञ	उपकार मानने वाला	तनु	पतला
उत्पात	उपद्रव	कृतघ्न	उपकार को न मानने वाला	तनू	पुत्र
कोढ़ी	कोढ़ से पीड़ित	कृमि	कीड़ा	कड़ी	जंजीर की इकाई

अध्याय
11

वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द

किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है– कम शब्दों में भावों एवं विचारों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति। हिन्दी भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। संधि, समास आदि हिन्दी भाषा के इसी गुण के परिचायक हैं और इसी श्रेणी में वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द' भी समान रूप से सम्मिलित है। इसे 'अनेक शब्दों के लिये एक शब्द' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य, विशिष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन और विशेषकर संक्षिप्तीकरण में इसकी उपयोगिता स्वत:सिद्ध है।

भाषा अपनी विकास-यात्रा में इस प्रकार की आवश्यकता की महत्ता को महसूस करते हुए तद्नुरूप शब्दों का निर्माण एवं अधिग्रहण करती है। इनके माध्यम से कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थों या भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। यहाँ यह कहना विशेष तर्कसंगत होगा कि यदि अनेक शब्दों के प्रयोग की बजाय एक शब्द ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो तो एक शब्द का प्रयोग युक्ति सम्मत होगा। 'वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द' की सूची काफी लंबी है फिर भी नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्य या वाक्यांशों के लिये एक शब्द दिये जा रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण वाक्य या वाक्यांश एवं उनके लिये एक शब्द निम्नलिखित हैं–

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए वाक्य या वाक्यांशों के लिये एक शब्द	
वाक्य या वाक्यांश	**एक शब्द**
जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु
वह ज़मीन जिसमें अच्छी पैदावार हो	उर्वरा
सप्ताह-सप्ताह में होने वाला	साप्ताहिक
उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा	उत्तर-पूर्व (ईशान कोण/दिशा)
वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिये लागू हो	अध्यादेश
उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा	उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण/दिशा)
पर्वत के ऊपर की समतल भूमि	अधित्यका
वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदावार न हो	ऊसर
वह व्यक्ति जो चोरी-छिपे माल लाता-ले जाता हो	तस्कर
वह भोज्य सामग्री जिसे यात्री रास्ते में खाने के लिये ले जाता है	पाथेय

अभ्यास हेतु अन्य महत्त्वपूर्ण वाक्य या वाक्यांश एवं उनके लिये एक शब्द निम्नलिखित हैं–

'अ ' वर्ण से संबंधित	
वाक्य या वाक्यांश	**एक शब्द**
पुरुष-गोद में सोने वाली स्त्री	अंकशायिनी
गोद में स्थित/जो गोद में हो	अंकस्थ
बही-खाता के हिसाब की जाँच करने वाला	अंकेक्षक
अंडे से उत्पन्न (जन्म) होने वाला	अंडज
मूलकथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघुकथा	अंत:कथा
महल में रानियों का निवास-स्थान	अंत:पुर
सबके अंत:करण (मन) की बात जानने वाला	अंतर्यामी
पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र/स्थान	अंतरिक्ष

अध्याय
12

संक्षिप्ताक्षर

ऐसी विस्तृत शब्दावली जिसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाए, उसे संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। संक्षिप्ताक्षर से संबंधित महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त शब्द (रूप) एवं उनका पूर्ण वाक्यांश (हिन्दी रूपांतरण) प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो इस प्रकार है–

संक्षिप्ताक्षर के लिये संक्षिप्त शब्द (रूप) एवं पूर्ण वाक्यांश	
संक्षिप्त शब्द (रूप)	**पूर्ण वाक्यांश**
एस्मा (ESMA)	अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (Essential Services Management Act)
रासुका (NSA)	राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act)
पोटा (POTA)	आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act)
टाडा (TADA)	आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act]
अफस्पा (AFSPA)	सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (Armed Forces Special Power Act)
फेरा (FERA)	विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act)
फेमा (FEMA)	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act)
पेसा (PESA)	पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम [Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act]
सीएसआर (CSR)	कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (Corporate Social Responsibility)
एनआरसी (NRC)	राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens)
पॉक्सो (POCSO)	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act)
जीएसटी (GST)	वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)
आईपीसी (IPC)	भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code)
आइसीडीएस (ICDS)	एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम (Integrated Child Development Service Scheme)
हृदय (HRIDAY)	विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (Heritage City Development and Augmentation Yojana)
एफडीआई (FDI)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment)
सीआरआर (CRR)	नकद कोष अनुपात (Cash Reserve Ratio)
एसएलआर (SLR)	वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)
सिडबी (SIDBI)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India)
एटीएम (ATM)	स्वचालित टेलर मशीन (Automated Teller Machine)
इरडा (IRDA)	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority)
एनपीए (NPA)	गैर-निष्पादित संपत्ति (Non-Performing Asset)
सेबी (SEBI)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)
आईडीबीआई (IDBI)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India)
जीडीपी (GDP)	सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)

अध्याय
13

रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन (सरल, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य)

रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत सर्वप्रथम यह समझना ज़रूरी होता है कि साधारणत: वाक्य परिवर्तन क्या है? वाक्य परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव (परिवर्तन) किये बिना उस वाक्य को एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना (परिवर्तन करना) 'वाक्य परिवर्तन' कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

13.1 सरल वाक्य

सरल वाक्य या साधारण वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है, जिसमें एक कर्त्ता (उद्देश्य) तथा एक क्रिया (विधेय) होती है, वैसे वाक्य सरल या साधारण या सामान्य वाक्य कहलाते हैं।

उदाहरण-

(i) राम फुटबाल खेलता है।
(ii) मुझे जाना है।
(iii) राम लिखता है।
(iv) उसने कहा था।

उपर्युक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी वाक्यों में केवल एक कर्त्ता एवं एक क्रिया है: अर्थात् एक 'उद्देश्य' तथा एक 'विधेय' है। अत: ये सभी सरल/साधारण/सामान्य वाक्य हैं।

सरल वाक्य से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्य परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें 'सरल वाक्य से मिश्र वाक्य' में परिवर्तन संबंधी वाक्य इस प्रकार हैं-

सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन	
सरल वाक्य	तुम अर्द्ध-रात्रि में मेरे घर आए थे।
मिश्र वाक्य	जब तुम मेरे घर आए थे तब अर्द्ध-रात्रि थी।
सरल वाक्य	मैनेजर ने मालिक की कार खरीद ली।
मिश्र वाक्य	मैनेजर ने उस कार को खरीदा, जो उसके मालिक की थी।
सरल वाक्य	कड़ी मेहनत करने वाले अच्छी कमाई कर लेते हैं।
मिश्र वाक्य	जो कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी कमाई कर लेते हैं।
सरल वाक्य	लोकप्रिय सिने अभिनेता को सभी जान से बढ़कर चाहते हैं।
मिश्र वाक्य	जो लोकप्रिय सिने अभिनेता होते हैं, उन्हें सभी जान से बढ़कर चाहते हैं।
सरल वाक्य	इसी छात्र को कार ने टक्कर मारी थी।
मिश्र वाक्य	यह वही छात्र है, जिसको कार ने टक्कर मारी थी।
सरल वाक्य	मेरा दोस्त सदैव मुझसे अपने घर आने को कहता है।
मिश्र वाक्य	मेरा दोस्त सदैव मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ।
सरल वाक्य	इस कार्यालय का प्रबंधन अस्त-व्यस्त है।
मिश्र वाक्य	इस कार्यालय का जो प्रबंधन है, वह अस्त-व्यस्त है।
सरल वाक्य	हल्का नाश्ता करके हम सभी मित्र होटल से बाहर आ गए।
मिश्र वाक्य	जब हल्का नाश्ता ले चुके, तब हम सभी मित्र होटल से बाहर आ गए।
सरल वाक्य	नवांतुक इस पद के लिये उपयुक्त पात्र नहीं है।

अध्याय
14

व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन

व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन में वाक्य के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिससे वाक्य के रूप को सही रूप में समझा जा सके कि उक्त वाक्य किस प्रकार का है तथा उस वाक्य को पहचानने की मूल विधि या तरीका क्या है तथा एक प्रकार के वाक्य को व्याकरण के आधार पर दूसरे प्रकार में परिवर्तित करते समय किन-किन महत्त्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इन सारी समस्याओं के निवारण हेतु इस व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों को समझाने का प्रयास किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से- **सकारात्मक (विधिवाचक) वाक्य, नकारात्मक (निषेधवाचक) वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य एवं संदेहार्थक वाक्य** आदि सम्मिलित हैं।

14.1 सकारात्मक (विधिवाचक) वाक्य

सकारात्मक या विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है, जिसमें किसी सामान्य बात के होने का आभास या जानकारी प्राप्त हो।

जैसे-

(i) उसने सब उपाय किये।
(ii) मैं लेखन करता हूँ।
(iii) कैसा सुंदर दृश्य है।
(iv) भारत एक देश है।
(v) दशरथ अयोध्या के राजा थे।
(vi) राम के पिता का नाम दशरथ था।

सकारात्मक/विधिवाचक वाक्य से नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन संबंधी प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं-

सकारात्मक/विधिवाचक वाक्य से नकारात्मक/निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन	
विधिवाचक वाक्य	वह मुझसे श्रेष्ठ है।
निषेधवाचक वाक्य	मैं उससे श्रेष्ठ नहीं हूँ।
विधिवाचक वाक्य	सारे कर्मी अधिकारी के विचार से सहमत हैं।
निषेधवाचक वाक्य	सारे कर्मी अधिकारी के विचार से सहमत नहीं हैं।
विधिवाचक वाक्य	मुझे पूर्ण विश्वास था कि पत्र अशोक ने लिखा होगा।
निषेधवाचक वाक्य	मुझे विश्वास नहीं था कि अशोक ने पत्र लिखा होगा।
विधिवाचक वाक्य	मुझे अत्यधिक खुशी है कि तुम्हें पिता बनने का सौभाग्य मिला।
निषेधवाचक वाक्य	मुझे अत्यधिक खुशी है कि तुम पिता बनने के सौभाग्य से वंचित नहीं रहे।
विधिवाचक वाक्य	मातृभूमि की रक्षा करना देशवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिये।
निषेधवाचक वाक्य	मातृभूमि की रक्षा करना देशवासियों की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिये।
विधिवाचक वाक्य	संत सदैव सत्य बोलते हैं।
निषेधवाचक वाक्य	संत कभी भी सत्य नहीं बोलते हैं।
विधिवाचक वाक्य	उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतवासियों से गोरे होते हैं।
निषेधवाचक वाक्य	उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतवासियों से नहीं होते हैं।
विधिवाचक वाक्य	मेरे पास दो-चार पुस्तकें ही हैं।
निषेधवाचक वाक्य	मेरे पास दो-चार पुस्तकों से अधिक नहीं हैं।
विधिवाचक वाक्य	मेरा मकान मेरे चाचा के मकान से अधिक दूर नहीं है।

अध्याय
15

स्लोगन (नारा) लेखन

स्लोगन (नारा), राजनैतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक एवं अन्य संदर्भों में, किसी विचार अथवा उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिये प्रयुक्त एक यादगार आदर्श-वाक्य अथवा सूक्ति है।

नारे के संदर्भ में अंग्रेजी में प्रयुक्त 'स्लोगन' शब्द, स्कॉटिश एवं आयरिश गैलिक के अंग्रेजीकृत शब्द स्लोर्गान से व्युत्पन्न है। स्लोगन (नारा) में लिखित एवं दृश्य से लेकर अलापे एवं असभ्य आदि तक नारों में विविधता हो सकती है। अक्सर उनकी आसान बयानबाज़ी, प्रकृति, विस्तृत विवरणों की गुजाइश नहीं छोड़ती है और इसलिये संभवतः वे अभीष्ट श्रोताओं के लिये प्रक्षेपण की बजाय, एकीकृत उद्देश्य की सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में अधिक काम करते हैं।

उदाहरण:

मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है
माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है।

जब होगी हर डगर, हर गली साफ तो
पूरी होगी स्वच्छ भारत की आस।

स्लोगन (नारा) से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ

(i) *स्लोगन (नारा) एक छोटा वाक्यांश होता है।*
(ii) *इसकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होती है। जिससे इसको याद रखना आसान होता है।*
(iii) *इनका उपयोग विज्ञापनों में, राजनीतिक दलों तथा अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है।*

स्लोगन (नारा) संबंधी महत्त्वपूर्ण उदाहरण

हिन्दी के संदर्भ में स्लोगन (नारा)

हिन्दी का सम्मान,
देश का सम्मान।

हिन्दी हमारी मातृभाषा है,
आइए हम सब मिल के
हिन्दी दिवस मनाते हैं।

भारत माता के माथे की बिंदी
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी।

ना करो हिन्दी की चिंदी
हिन्दी तो है देश की बिंदी।

एकता की जान है,
हिन्दी देश की शान है।
जो स्थान है नारी के

अध्याय
16

शब्द-शुद्धि

कभी आंचलिक प्रभाव के कारण तो कभी लिंग-वचन की अल्पज्ञता के कारण हम शब्दों को लिखने में अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। ऐसी अशुद्धियों में वर्ण संबंधी अशुद्धियों को भी नहीं नकारा जा सकता। अक्षर लेख, संधि, समास, विसर्ग आदि संबंधी अशुद्धियाँ न होने पाएँ, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नीचे इन सभी प्रकार की अशुद्धियों को प्रस्तुत किया गया है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए अशुद्ध-शुद्ध शब्द

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुग्रहीत, अनुग्रहित	अनुगृहीत	भुजंगनी	भुजंगिनी	स्वस्थ्य	स्वस्थ
आव्हान	आह्वान	बाल्मीक, बाल्मीकि	वाल्मीकि	सन्यासी	संन्यासी
उज्वल, उज्जवल	उज्ज्वल	प्रातकाल	प्रात:काल	सदृश्य	सदृश
गत्यावरोध	गत्यवरोध	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	पुरुस्कार	पुरस्कार
चिन्ह	चिह्न	प्रज्ज्वलित	प्रज्वलित	पड़ोसन	पड़ोसिन
त्यौहार, त्योंहार	त्योहार	प्रफुल्लित	प्रफुल्ल	निरिक्षण	निरीक्षण
दुरावस्था	दुरवस्था	पुज्य, पूज्यनीय	पूज्य,पूजनीय	धनाड्य	धनाढ्य
निरोग	नीरोग	पक्षीगण	पक्षिगण	दिवारात्रि	दिवारात्र
प्रतिनिधी	प्रतिनिधि	व्यवहारिक	व्यावहारिक	दरिद्री	दरिद्र
मिष्ठान, मिस्ठान	मिष्टान्न	वापिस	वापस	फिसदी	फीसदी
मोलिक	मौलिक	वीभीषण, बिभीषण	विभीषण	तदोपरांत	तदुपरांत
सदोपदेश	सदुपदेश	श्रृंगार, श्रंगार	शृंगार	चांद	चाँद
विशिष्ठ, विशीष्ट	विशिष्ट	संग्रहित, संग्रहीत	संगृहीत	कृत्यकृत्य	कृतकृत्य
वधु	वधू	सप्ताहिक	साप्ताहिक	कवियत्री, कवित्री	कवयित्री
लघुत्तर	लघूत्तर	समाजिक	सामाजिक	ओद्योगिक	औद्योगिक
रविंद्र	रवींद्र	साहित्यक	साहित्यिक	आर्शिवाद, आशिर्वाद	आशीर्वाद
रचयता, रचियता	रचयिता	सृष्टा	स्रष्टा	आधीन	अधीन
मध्यांत, मध्यान्ह	मध्याह्न	सुश्रुषा	सुश्रूषा	गुरू	गुरु
परिभासिक	पारिभाषिक	महंगा	महँगा	महत्व	महत्त्व
साक्षात	साक्षात्				

'आ' की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आधीन	अधीन	अन्त्यक्षरी	अन्त्याक्षरी	व्यवसायिक	व्यावसायिक
हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप	अवश्यकता	आवश्यकता	तत्कालिक	तात्कालिक
हाथिनी	हथिनी	अशीर्वाद	आशीर्वाद	नदान	नादान
आलौकिक	अलौकिक	अजीविका	आजीविका	नराज	नाराज
अहार	आहार	समूहिक	सामूहिक	परलौकिक	पारलौकिक
दावात	दावत	असमान	आसमान	बदाम	बादाम

अध्याय
17

शब्द-भेद [तत्सम, तद्भव, देशज (देशी), विदेशज (विदेशी) एवं संकर शब्द]

विश्व की समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विश्व भाषा के रूप में मान्य अंग्रेज़ी भाषा सहित अन्य प्रमुख विश्वस्तरीय भाषाओं– फ्रेंच, यूनानी, स्पेनिश, रशियन, जर्मनी, चीनी, जापानी इत्यादि ने अपने-अपने मूल शब्दों के अलावा अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों के रूप-परिवर्तन कर अपनी-अपनी भाषा के शब्द-भंडार को बृहद् एवं विस्तृत किया है। हिन्दी भाषा इस अर्थ में कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों को या तो यथावत् या फिर उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके शब्द-भंडार को समृद्ध किया गया है।

- संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है। इसका शब्द-भंडार संस्कृत के मूल शब्द (तत्सम) और उसके परिवर्तित रूप (तद्भव) शब्दों से भरा हुआ है।
- उत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद के अंतर्गत पाँच प्रकारों को सम्मिलित किया गया है, जिनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है,

तत्सम

तत्सम (तत् + सम = उसके समान) यहाँ 'उसके' से आशय 'संस्कृत' से है। इस प्रकार, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उनके समान शब्द हैं और हिन्दी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। ऐसे तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अग्नि, अंक, स्कंध, अश्रु, आम्र, अष्ट** इत्यादि। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो जो शब्द संस्कृत से उनके मूल रूप में लिये गए हैं और हिन्दी में इसी मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द हैं।

तद्भव

हिन्दी भाषा के **तद्भव** शब्द ऐसे शब्द हैं, जो मूलरूप से संस्कृत शब्दों से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है– संस्कृत शब्द से उत्पन्न/विकसित/बना शब्द। मगर यहाँ यह उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा कि तद्भव शब्द सीधे (प्रत्यक्ष) तौर पर संस्कृत शब्द से उत्पन्न/विकसित नहीं होकर प्राकृत, पालि और अपभ्रंश के माध्यम से हज़ारों साल के काल-क्रम से गुज़रते हुए अस्तित्व में आया है। यही कारण है कि संस्कृत के मूल शब्द में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो गया। तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं, यथा–**अच्छर, कड़ुआ, काठ, घिन, चाम, जोगी** इत्यादि।

देशज (देशी)

देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों के उन शब्दों से है, जो हिन्दी भाषा के विकास के काल-क्रम में उसके गर्भगृह (शब्द-भंडार) में समाहित हो गए। यद्यपि इन शब्दों की संख्या शेष तीन प्रकारों की शब्द-संख्या की तुलना में नगण्य है, लेकिन प्रचलन में ये शब्द प्रचुरता से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अक्खड़, अंट-शंट, ऊटपटाँग, किलबिलाना, गुदड़ी, झक्की, हेकड़ी, अचकचाना, अल्लम-गल्लम, ओझल, अचानक, अटपटा, इठलाना, ओढ़र, अलबेला, उमंग, कनकना, कचारना, कटकना, कदली, किचर-पिचर, कनटक, कौंधना, काच, कचोटना, कीनर-मीनर, कराहना, खूसट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुरदरा, खटना, खूँटी, खर्राटा, खटपट, खचाखच, गिड़गिड़ाना, गल्प, गुद्दा, गली, गिरगिट, गरेरी, गेंदा, गुपचुप, गोंद, घेंघा, घमंड, घोंसला, घुमड़ना** इत्यादि।

अध्याय
18

रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द

व्युत्पति या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद या प्रकार होते है जिसमें- रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द प्रमुख हैं। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द नामक अध्याय के अंतर्गत इन्हीं तीनों भेदों को समझाने का प्रयास किया गया है।

18.1 रूढ़ शब्द

रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, जो वर्णों के योग से बने हों तथा वे किसी विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हों, परंतु उनके टुकड़ों या खंडों का कोई अर्थ न होता हो ऐसे शब्द ही 'रूढ़ शब्द' कहलाते हैं।

जैसे- कल, पर

उपर्युक्त शब्द के टुकड़े या खंड 'क', 'ल', 'प', 'र' को देखने पर ज्ञात होता है कि इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। अतः ये टुकड़े निरर्थक हैं।

इसी प्रकार अन्य रूढ़ शब्द- चूहा, राम, काला, गाय, हाथ, पैर, नाम, घर, दिन, शेर, कुत्ता, कमल, प्रासाद, फूल, सोना, छोटा, घोड़ा, बल इत्यादि।

18.2 यौगिक शब्द

यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, जो कई सार्थक (दो या दो से अधिक) शब्दों के मेल से बने होते हैं। अतः ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं।

जैसे-

- राजपुरुष = राज + पुरुष
- हिमालय = हिम + आलय
- देवदूत = देव + दूत
- पाठशाला = पाठ + शाला
- विद्यालय = विद्या + आलय
- शौचालय = शौच + आलय
- विज्ञान = वि + ज्ञान
- ईश्वर = ईश् + वर
- राजकमल = राज + कमल

18.3 योगरूढ़ शब्द

योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, जो यौगिक तो होते है परंतु वे किसी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं। अतः ऐसे शब्द ही 'योगरूढ़ शब्द' कहलाते हैं।

जैसे- पंकज, दशानन आदि।

उपर्युक्त उदाहरणों से- पंकज = पंक + ज (कीचड़ में उत्पन्न होने वाला)

ये सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर 'कमल' के अर्थ में रूढ़ हो गया। अतः पंकज योगरूढ़ शब्द है।

इसी प्रकार दशानन = दश + आनन (दस मुख वाला)

ये सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर 'रावण' के अर्थ में रूढ़ हो गया। अतः दशानन योगरूढ़ शब्द है।

अन्य महत्त्वपूर्ण योगरूढ़ शब्द-

जलद, चक्रपाणि, लंबोदर, पीतांबर, नीलकंठ, हिमालय, चौमासा, चारपाई इत्यादि।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर सीमा : 20 शब्द)

1. योगरूढ़ शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए पाँच योगरूढ़ शब्दों का उल्लेख कीजिये। **UKPSC (Mains) 2016**
2. यौगिक और योगरूढ़ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए, उनके दो-दो उदाहरण दीजिये। **UKPSC (Mains) 2012**
3. रूढ़ शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए पाँच शब्दों का उल्लेख कीजिये।

अध्याय
19

उपसर्ग एवं प्रत्यय

हिन्दी में शब्द-निर्माण एवं अर्थ की विशिष्टता प्रदान करने में उपसर्ग की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग प्राय: एक या दो अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द के आगे (प्रारंभ में) लगकर मूल शब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। इस प्रकार उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिन्दी शब्द-निर्माण के महत्त्वपूर्ण स्रोत का एक सशक्त साधन प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ-क्षेत्र को व्यापक बनाता है, वरन् शब्द-भंडार को भी समृद्ध करता है।

19.1 उपसर्ग

उपसर्ग में दो शब्द हैं– उप + सर्ग। 'उप' का अर्थ समीप, पास या निकट होता है, जबकि 'सर्ग' से आशय सृष्टि करने से है। इस प्रकार उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है– पास या निकट बैठकर नव अर्थयुक्त शब्द-निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना।

'अ' और 'नि' ऐसे दो हिन्दी उपसर्ग हैं, जो अत्यधिक रूप से प्रचलित हैं। इन दोनों उपसर्गों से अत्यधिक शब्द निर्माण होते हैं। इन्हीं उपसर्गों से निर्मित कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं–

- 'अ' उपसर्ग से निर्मित शब्द– अमान्य, अमूल्य, अशुभ, अकर्म, अज्ञानी, अन्याय, अपरिमित, अकार्य आदि।
- 'नि' उपसर्ग से निर्मित शब्द– निकृष्ट, निदर्शन, निवारण, निरोध, निवास, निमग्न, निदान आदि।

उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है, यद्यपि अर्थ वही रहता है, जैसे– मूल्य-अमूल्य-बहुमूल्य।
- उपसर्ग के प्रयोग से शब्दार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, केवल गति या अधिकता का बोध होता है।
- उपसर्ग लगाने से नवनिर्मित शब्द मूल शब्द का विलोम बन जाता है, जैसे– शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, डर-निडर।

उपसर्ग के प्रकार

चूँकि हिन्दी का जन्म या विकास संस्कृत से हुआ है। अत: इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत के ही हैं। हालाँकि विकास के काल-क्रम में हिन्दी ने अपने उपसर्ग भी विकसित किये हैं। फिर मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ी शासनकाल की सदियों की अवधि में इनकी भाषाएँ क्रमश: अरबी-फारसी तथा अंग्रेज़ी ने हिन्दी पर जबरदस्त प्रभाव डाला और परिणाम के रूप में इन भाषाओं के प्रचलित प्रमुख उपसर्गों को हिन्दी ने या तो यथावत् अथवा कुछ रूप-परिवर्तन कर अधिग्रहण कर लिया। इस प्रकार, वर्तमान में हिन्दी में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के प्रचलित उपसर्ग सर्वमान्य हैं–

1. संस्कृत के उपसर्ग
2. हिन्दी उपसर्ग
3. उर्दू के उपसर्ग

1. संस्कृत के उपसर्ग

हिन्दी ने अपनी जननी संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया है, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित शब्दों के सरलबोध हेतु सारणी के रूप में निम्नवत् प्रस्तुत हैं–

अध्याय
20

संधि एवं समास

संधि शब्द का अर्थ 'मेल' से है। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह 'संधि' कहलाता है। वहीं संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि-विच्छेद कहते हैं।

20.1 संधि

संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि

स्वर संधि

दो स्वरों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है, वह स्वर संधि कहलाता है।

उदाहरण: (i) विद्या + आलय = विद्यालय, (ii) महा + आत्मा = महात्मा

स्वर संधि के पाँच भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

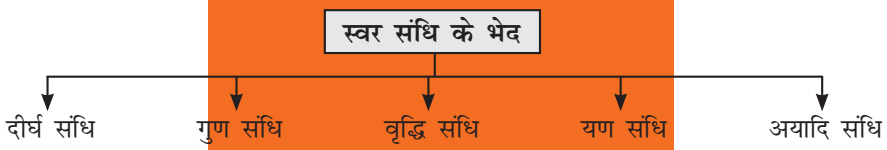

दीर्घ संधि

इस प्रकार की संधि में जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् अ/आ, उ/ऊ के पश्चात् उ/ऊ एवं इ/ई के पश्चात् इ/ई आए तो ये दोनों शब्द मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, **जैसे**-

अ + अ = आ	**अ + आ = आ**
• गीत + अंजलि = गीतांजलि	• आम + आशय = आमाशय
• स्व + अर्थी = स्वार्थी	• आर्य + आवर्त = आर्यावर्त
• मत + अनुसार = मतानुसार	• गर्भ + आशय = गर्भाशय
• परम + अर्थ = परमार्थ	• भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
• प्र + अंगन = प्रांगण	• हास्य + आस्पद = हास्यास्पद
आ + अ = आ	**आ + आ = आ**
• निशा + अंत = निशांत	• महा + आशय = महाशय
• सत्ता + अंतरण = सत्तांतरण	• वार्ता + आलाप = वार्तालाप
• परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी	• प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पद
• रचना + अवली = रचनावली	• महा + आत्मा = महात्मा
• दिशा + अंतर = दिशांतर	• प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार
• सुधा + अंशु = सुधांशु	

अध्याय
21

वचन एवं लिंग

'वचन एवं लिंग' नामक अध्याय के अंतर्गत वचन एवं उनके प्रकार तथा लिंग एवं उनके प्रकारों को उदाहरण सहित परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

21.1 वचन

वचन का शाब्दिक अर्थ- 'संख्यावचन' है एवं संख्यावचन को संक्षेप में वचन भी कहा जाता है।

वचन उस शब्द के रूप को कहा जाता है, जिस शब्द के रूप से अधिक का बोध (ज्ञात/आभास) होता है, वैसे शब्द का रूप वचन कहलाता है।

दूसरे शब्दों में- हिन्दी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के जिस रूप से किसी संख्या का बोध (ज्ञात/आभास) होता है, वह वचन कहलाता है।

जैसे-

(i) माली पौधे सींच रहा है।

(ii) फ्रिज में अंडे रखे हैं।

(iii) तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों में- 'माली', 'फ्रिज' 'तालाब' आदि एक होने का बोध (आभास) करा रहे हैं जबकि 'पौधे', अंडे, मछलियाँ एक से अधिक का बोध (आभास) करा रहे हैं। अतः उपर्युक्त उदाहरण में माली, फ्रिज, तालाब आदि एकवचन के रूप हैं जबकि पौधे, अंडे, मछलियाँ आदि बहुवचन के रूप हैं।

वचन के प्रमुख रूप से दो भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

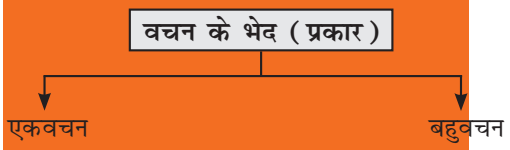

एकवचन

संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है, वह एकवचन कहलाता है।

जैसे- राम, श्याम, कुर्सी, कलम, बकरी, घोड़ा, भैंस, सिपाही, पुस्तक, हाथी, बंदर, शेर आदि।

बहुवचन

संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के होने का बोध होता है, वैसे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। **जैसे-** कपड़े, रोटियाँ, मालाएँ, बकरियाँ, घोड़े, चूहे, लड़के, लड़कियाँ, टोपियाँ, गाड़ियाँ, लताएँ, स्त्रियाँ, नदियाँ आदि।

एकवचन एवं बहुवचन बनाने संबंधी कुछ प्रमुख नियम

आदरणीय अथवा सम्मानीय व्यक्तियों के लिये बहुवचन का भी प्रयोग होता है, परंतु एकवचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है।

जैसे-

(i) श्री रामचंद्र वीर थे।

(ii) पिताजी कल कानपुर जाएंगे।

(iii) गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे।

अध्याय
22

व्याकरणिक कोटियाँ (परिभाषा एवं भेद)

व्याकरणिक कोटियों (परिभाषा एवं भेद) के अंतर्गत हिन्दी भाषा के प्रयोग के समय व्याकरण से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ, जिनके सही रूप एवं ज्ञान के बिना हिन्दी भाषा का व्याकरण के संदर्भ में सही प्रयोग करने में समस्या आती है, उन समस्याओं के समाधान के लिये व्याकरणिक कोटियों (परिभाषा एवं भेद) से संबंधित इस अध्याय में संज्ञा एवं उसके भेद (लिंग, वचन, कारक), सर्वनाम, क्रिया, क्रिया-विशेषण, विशेषण तथा अव्यय आदि के संबंध में आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण जानकारियों को प्रस्तुत किया गया है।

22.1 संज्ञा

परिभाषा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।"

उदाहरण- सुमन, राम, श्याम, गंगा, कनाडा आदि।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के कुल पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं-

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा

किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–राम, गंगा, भारत, दिल्ली आदि।

(i) **व्यक्तियों के नाम** : राम, मुकेश, मोहन, सीता आदि।
(ii) **दिशाओं के नाम** : पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि।
(iii) **देशों के नाम** : भारत, अमेरिका, कनाडा आदि।
(iv) **शहरों के नाम** : दिल्ली, पटना, इलाहाबाद आदि।
(v) **समुद्रों के नाम** : काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि।
(vi) **नदियों के नाम** : गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि।

2. जातिवाचक संज्ञा

जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–मनुष्य, घर, नदी, देश आदि।

जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

मनुष्य: पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा इत्यादि।

पशु-पक्षी : गाय, बकरी, शेर, मोर, तोता इत्यादि।

अध्याय
23

वाच्य परिवर्तन (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य)

क्रिया के जिस रूप द्वारा यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो विधान संपादित किया जाता है, उस विधान का विषय- कर्त्ता है, कर्म है या भाव है, उसे **'वाच्य'** कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाच्य, क्रिया के उस परिवर्तन को कहा जाता है, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्त्ता, कर्म अथवा 'भाव' आदि में से किसकी प्रधानता है।

वाच्य के प्रमुख रूप से तीन प्रकार/भाग होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

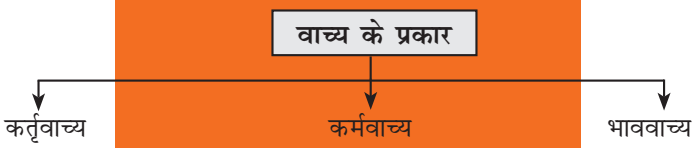

कर्तृवाच्य

क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य के उद्देश्य (क्रिया का कर्त्ता) का बोध होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में लिंग तथा वचन कर्त्ता के अनुसार निर्धारित होते हैं।

उदाहरण-

(i) राम घर जाता है। (ii) मोहन खेलता है। (iii) घोड़ा दौड़ता है।

कर्तृवाच्य वाक्य से कर्मवाच्य वाक्य में परिवर्तन संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो निम्नलिखित हैं-

'कर्तृवाच्य वाक्य' से 'कर्मवाच्य वाक्य' में परिवर्तन	
कर्तृवाच्य वाक्य	राम रोटी खाता है।
कर्मवाच्य वाक्य	राम से रोटी खाई जाती है।
कर्तृवाच्य वाक्य	नौकर ने मालिक से प्रार्थना की।
कर्मवाच्य वाक्य	नौकर द्वारा मालिक से प्रार्थना की गई।
कर्तृवाच्य वाक्य	स्टेज गायक गीत गाता है।
कर्मवाच्य वाक्य	स्टेज गायक से गीत गाया जाता है।
कर्तृवाच्य वाक्य	सचिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
कर्मवाच्य वाक्य	सचिन द्वारा अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है।
कर्तृवाच्य वाक्य	कृपया मुझे आज्ञा दीजिये।
कर्मवाच्य वाक्य	कृपया मुझे आज्ञा दी जाए।
कर्तृवाच्य वाक्य	वह कितना असत्य बोलेगा।
कर्मवाच्य वाक्य	उसके द्वारा कितना असत्य बोला जाएगा।
कर्तृवाच्य वाक्य	बच्चे सीढ़ी पर चढ़-उतर रहे हैं।
कर्मवाच्य वाक्य	बच्चों से सीढ़ी पर चढ़ा-उतरा जा रहा है।
कर्तृवाच्य वाक्य	खननकर्मी जोखिम भरा काम कर रहा है।
कर्मवाच्य वाक्य	खननकर्मी द्वारा जोखिम भरा काम किया जा रहा है।
कर्तृवाच्य वाक्य	उम्र के इस पड़ाव पर प्रायश्चित्त करने का समय आ गया है।

अध्याय
24

मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ (कहावतें)

हिन्दी के 'मुहावरा' शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मुहावर:' शब्द से हुई है। 'मुहावर:' शब्द का अर्थ होता है- अभ्यास करना। इस प्रकार, हिन्दी में 'मुहावरा' का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषायी अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार कहावत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है- कही हुई बात। इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं, जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ- लोक (जनसामान्य) की उक्ति (कथन) है। 'उक्ति' से यहाँ आशय उसी संदर्भ में है जैसी कहावत में है।

24.1 मुहावरे

मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता आ रहा है।

उदाहरण-

'मच्छर मारना' और 'चांदी का जूता मारना' के शाब्दिक अर्थ क्रमश: न तो मच्छर को मारना है और न ही जूते से मारना। वस्तुत: इन दोनों मुहावरों के अर्थ क्रमश: 'खाली बैठकर समय काटना' और 'धन का लोभ देना' है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्त्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

अन्य हिन्दी विद्वानों के अनुसार-

"जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय: क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।" **(श्याम चंद्र कपूर)**

"ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है।" **(डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद)**

"मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिये किया जाता है।" **(डॉ. भोलानाथ तिवारी)**

मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ एवं निवारण

मुहावरे के प्रारंभिक विवरण में हमने देखा कि मुहावरा सामान्यजन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का अभिन्न अंग होता है। यही सामान्यजन मुहावरों के जन्म के स्रोत हैं, मगर वर्तमान समय में सामान्यजन के अलावा उच्च शिक्षित एवं विद्वान वर्ग भी भाषायी गुणवत्ता एवं प्रासंगिक चमत्कारिता के लिये इसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार, मुहावरों के व्यापक प्रचलन से उनके प्रयोग में अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अशुद्ध मुहावरे के प्रयोग से मुहावरा अर्थहीन हो जाता है, वक्ता या लेखक के कथन ऐसे मुहावरों की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन हो जाते हैं। अत: यहाँ मुहावरों के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग प्रस्तुत हैं-

मुहावरे के शब्दों का स्थान-परिवर्तन

मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के क्रम-परिवर्तन कर देने से मुहावरे अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाते हैं और कथन इसकी प्रयुक्तता के बाद भी इसके प्रभाव एवं औचित्य से अछूता रह जाता है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें-

अध्याय
25

भाषा का मानकीकरण

'मानक' का अभिप्राय है- आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषियों के लिये आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे (अन्य भाषा-भाषी) उस भाषा को सीखते हैं, जिस भाषा-रूप का व्यवहार पत्राचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का 'मानक' रूप कहलाता है। मानक भाषा की एक पहचान यह भी है कि उसका प्रयोग शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानक भाषा को 'किसी देश अथवा राज्य की प्रतिनिधि भाषा' भी कहा जाता है।

हर भाषा अपने आदि रूप में मात्र एक बोली होती है। उस बोली के प्रयोक्ताओं की राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास-प्रक्रिया के साथ-साथ मात्र बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली वह बोली भी धीरे-धीरे निखरकर विकसित हो जाती है, उसका व्याकरण निश्चित हो जाता है, उसे अधिकाधिक पत्राचार, शिक्षा, प्रशासन आदि का माध्यम बनने का अवसर मिलता है। तब वह 'बोली' न रहकर 'भाषा' का रूप ले लेती है। यही भाषा एक उच्च स्तर तक पहुँचकर ऐसा आदर्श रूप ले लेती है जिसे 'मानक' भाषा मान लिया जाता है। इस दृष्टि से, किसी भाषा का वह सर्वमान्य, व्याकरणसम्मत परिनिष्ठित रूप मानक भाषा कहलाता है, जो विकास की प्रक्रिया से निखर कर अपने प्रयोक्ता-समुदाय के सभी क्षेत्रों का औपचारिक माध्यम बन जाता है।

भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया

'भाषा के मानकीकरण' का अभिप्राय है उसका 'बोली' के रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसी 'परिनिष्ठित भाषा' का रूप धारण कर लेना जो धर्म, शिक्षा, साहित्य एवं प्रशासनिक कार्य-कलाप में सर्वमान्य माध्यम बन सके। भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर, मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण है।

इस प्रक्रिया के तीन सोपान हैं। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली 'बोली' का होता है जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द-भंडार सीमित होता है। इसका अपना नियमित व्याकरण या भाषा-शास्त्र नहीं होता। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य-व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

वही 'बोली' जब कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र-विस्तार कर लेती है तो उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और वह व्याकरणिक साँचे में ढलने लगती है। उसके प्रयोक्ता उसे पत्राचार का माध्यम बना लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन में उसका प्रयोग होने लगता है, उसका अपना साहित्य रचा जाता है; तब वह 'बोली' का चोला त्याग कर 'भाषा' की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। यह किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है।

तीसरे स्तर पर पहुँचकर मानकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यह वह स्तर है जब भाषा का प्रयोग-क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक ऐसा 'आदर्श' रूप धारण कर लेती है, जिसमें किसी बोली की गंध नहीं रहती। वह उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, व्यावहारिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में, भूगोल-इतिहास, व्याकरण आदि की पुस्तकों, साहित्य-कला और संचार-साधनों के स्तर पर उसका एक-सा सर्वमान्य रूप गृहीत होता है। ऐसी स्थिति में पहुँचकर भाषा 'मानक भाषा' बन जाती है। उसी को शुद्ध, उच्चस्तरीय, परिमार्जित आदि विशेषण भी दिये जाते हैं।

भाषा के मानकीकरण के कारण

मानकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिये उसके प्रमुख कारणों का विशद परिचय आवश्यक है। ये हैं- (क) भौगोलिक, (ख) राजनीतिक, (ग) धार्मिक, (घ) सामाजिक, (ङ) शैक्षणिक और (च) साहित्यिक।

अध्याय
26

कार्यालयी पत्रों के प्रारूप

'कार्यालयी पत्रों के प्रारूप' नामक अध्याय के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा 'सामान्य हिन्दी एवं पत्र लेखन' से संबंधित जो प्रमुख पत्र-लेखन को निर्धारित किया गया है, उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से- शासकीय पत्र, अर्द्ध-शासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालयादेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं टिप्पणी लेखन आदि प्रमुख हैं।

26.1 शासकीय पत्र *(Official Letter)*

शासकीय पत्र उन विशेष प्रकार के पत्रों को कहा जाता है, जिनका प्रयोग सरकार के कामकाज में किया जाता है। इस प्रकार के पत्र साधारणत: औपचारिक होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में सरकार की नीति या समस्या तथा उसके किसी निर्णय आदि का उल्लेख होता है। सरकार के कामकाज में इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों का एक निश्चित प्रारूप व शैली होती है तथा उसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों में पद के हिसाब से प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होता (सभी के लिये समान आदर व सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है)।

शासकीय पत्र की विशेषताएँ

- इस प्रकार के पत्रों में नपे-तुले शब्दों या संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है तथा ये पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं।
- इस प्रकार के पत्रों में सरकार की नीति या समस्या या उसके किसी विषय या निर्णय आदि का उल्लेख होता है।
- इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों/कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिये सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है।
- इस प्रकार के पत्रों का एक निश्चित प्रारूप एवं शैली होने के कारण, पत्रों को लिखते समय उन प्रारूपों का विशेष ध्यान रखना होता है।
- इस प्रकार के पत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संयत एवं शिष्ट होती है। ये पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं।
- इस प्रकार के पत्रों में एक सूचना या निर्देश एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, यदि दूसरी या तीसरी सूचना या निर्देश आदि को लिखना है तो 2 या 3 संख्या अंकित करके नए पैराग्राफ से लिखा जाता है।

शासकीय पत्रों के लेखन में ध्यान रखी जाने योग्य विशेष जानकारी

शासकीय पत्रों में सर्वप्रथम प्रेषक का नाम और पदनाम दोनों शब्द 'प्रेषक' लिखकर उसके नीचे लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान यह दिया जाना चाहिये कि जिस अधिकारी के पास वह पत्र प्रेषित किया जाता है, उसका केवल पदनाम सेवा में लिखकर उसके नीचे दिया जाता है, भले ही संबंधित अधिकारी का नाम हमें ज्ञात हो, लेकिन किसी भी शासकीय पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया जाता है।

अध्याय
27

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है। जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये किया जाता हैं। ये शब्द दैनिक जीवन के शब्द न होकर ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे– गणित, इंजीनियरिंग, भैतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के विशिष्ट शब्द होते हैं। इनकी अर्थ सीमा परिभाषित एवं सुनिश्चित होती हैं। तथा इन शब्दों का अर्थ भी निश्चित एवं विशिष्ट होता है। जैसे– अभिकर्त्ता (Agent), समनुदेशन (Assignmnt), भुगतान शेष (Balance of Payment), तुलन पत्र (balance sheet), तेजड़िया, (Bull) अधिहरण (Confiscation), परेषण (Consignment) आदि।

शब्द युग्म:

हिन्दी के अनेक ऐसे शब्द जिनका उच्चारण प्राय: समान होता है किंतु उनके अर्थ भिन्न होते है। ऐसे शब्दों को 'शब्द-युग्म' कहा जाता है।

जैसे–

(i) अंस (कंधा) और **अंश** (हिस्सा),

(ii) अन्न (अनाज) और **अन्य** (दूसरा),

(iii) अद्यम (नीच) और **अधर्म** (पाप),

(iv) अली (सखी) और **अलि** (भौंरा)

पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत उन शब्दों को सम्मिलित किया गया है जो प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयोगी हैं तथा जिन शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में बार-बार होता है। अत: उन शब्दों का अंग्रेज़ी एवं हिन्दी रूपांतरण जानना अति आवश्यक है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को करते हुए आप किसी प्रकार की असहजता का अनुभव न करें।

शब्द एवं उनका अंग्रेज़ी रुपांतरण

इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित हिन्दी शब्दों का संग्रह करते हुए उनके अंग्रेज़ी रुपांतरण को भी उनके सम्मुख उपलब्ध कराया गया है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित हिन्दी शब्दों की अंग्रेज़ी क्या है, इसकी जानकारी आपको हो सके।

शब्द	अंग्रेज़ी रुपांतरण
अंतरण	Transfer (ट्रांसफर)
अंचल	Zone (जोन)
अंत:क्रिया	Interaction (इंटरेक्शन)
अंतर्राष्ट्रीय विधि	International Law (इंटरनेशनल लॉ)
अंतर्दृष्टि	Insight (इनसाइट)
अंतर्मुखी	Introvert (इन्ट्रोवर्ट)
अग्रिम अदायगी	Advance Payment (एडवांस पेमेंट)
अधिपत्र	Warrant (वारंट)
अधिमान्य	Preferable (प्रेफेरेबल)
अनभिज्ञता	Ignorance (इग्नोरेंस)
अनियमितता	Irregularity (इरेग्युलैरटी)
अभिकथित	Alleged (अल्लेज्ड)
अभियोजन	Prosecution (प्रॉसिक्यूशन)
अर्थदंड	Penalty (पेनल्टी)
अल्पकालिक बोली	Short Term bid (शॉर्ट टर्म बिड्)
अवहेलना	Disregard (डिसरेगार्ड)
असमतल भूमि	Uneven land (अन्इव्न लैंड)
असमर्थनीय	Untenable (अन्टेनेब्ल)
असहिष्णुता	Intolerance (इंटॉलरेंस)
असार्थकता	Insignificance (इंसिग्निफिकेंस)
आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय	Zonal Office (जोनल ऑफिस)
आचरण	Conduct (कंडक्ट)

अध्याय
28

हिन्दी भाषा का कंप्यूटरीकरण
(शब्द संसाधन, डाटा प्रविष्टि एवं मुद्रण)

हिन्दी कंप्यूटरीकरण हिन्दी भाषा से संबंधित सकल कार्यों को कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल युक्तियों पर कर पाने से संबंधित है। यह मुख्यत: उन सॉफ्टवेयर उपकरणों एवं तकनीकों से संबंध रखता है जो कंप्यूटर पर हिन्दी के विविध प्रकार से प्रयोग में सुविधा प्रदान करते हैं। आज के युग में हिन्दी कंप्यूटरीकरण के सॉफ्टवेयरों का बहुत ही महत्त्व है।

28.1 हिन्दी भाषा का कंप्यूटरीकरण

वर्तमान समय में हिन्दी के तकनीकी विकास का अर्थ प्राय: कंप्यूटरीकरण से ही लिया जाता है। आज सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। इसलिये अब प्रयास किया जा रहा है कि हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिये कंप्यूटर उसी प्रकार काम करे जैसे रोमन लिपि के लिये कर रहा है।

कंप्यूटर के दो अंग होते हैं- हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का संबंध कंप्यूटर की मशीन से है। मशीन के स्तर पर हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी का कोई अंतर नहीं पड़ता।

सॉफ्टवेयर का अर्थ उन सभी प्रोग्रामों से है जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं। ये प्रोग्राम दो तरह के होते हैं- (क) सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा (ख) ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। **सिस्टम सॉफ्टवेयर** का संबंध उन मूल कार्यक्रमों से है जो कंप्यूटर के प्रयोगों के आधार के रूप में कार्य करते हैं, जैसे- डॉस, विंडोज़ सिस्टम आदि। **ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर** वे हैं जो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों का ही विकास हिन्दी में हो।

जहाँ तक **'सिस्टम सॉफ्टवेयर'** का संबंध है, हिन्दी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ। हिन्दी में अभी भी आवश्यक निर्देश डॉस, विंडोज़ सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जाते हैं जो कि काफी लोकप्रिय हैं। इन कार्य प्रणालियों की रचना भी मूलत: अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि के लिये बनाई गई कार्यप्रणालियों पर आधरित है। इन्हें ही भारतीय भाषाओं के लिये काम में लिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं में काम करते हुए कंप्यूटर के लिये आवश्यक निर्देश अंग्रेज़ी में ही होते हैं। हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसे निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे निर्देश हिन्दी में विकसित होने ही चाहियें। जापानी भाषा में भी पहले ये निर्देश उपलब्ध नहीं थे, पर अब उन्होंने यह विकास कर लिया है। अब उन्हें जापानी का प्रयोग करने के लिये अंग्रेज़ी का आधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।

'एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर' ही वह क्षेत्र है जो सीधे-सीधे हिन्दी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा है। इस क्षेत्र में दो तरह के कार्य कंप्यूटर प्रमुख रूप से करता है- आँकड़ा संसाधन (डाटा प्रोसेसिंग) तथा शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग)।

आँकड़ा संसाधन (डाटा प्रोसेसिंग) का अर्थ है दिये हुए आँकड़ों के आधार पर गणनाएँ करके परिणाम निकालना। वेतन बिल बनाना, गणित के सवालों को हल करना, परीक्षा परिणाम निकालना, खाता बही बनाना आदि आँकड़ा संसाधन के उदाहरण हैं। इसके लिये अभी तक प्राय: फोर्ट्रान, कोबोल आदि कार्यक्रम उपयोग में आते हैं, जो अभी तक अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं।

शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग) ही वह क्षेत्र है, जिसमें हिन्दी में विकास हुआ है। पत्र लिखना, रिपोर्ट आदि तैयार करना, लेख लिखना आदि शब्द संसाधन के प्रमुख कार्य हैं। शब्द संसाधन के लिये पहले से जो कार्यक्रम प्रचलित रहे हैं, उनमें वर्डस्टार, वर्ड परफेक्ट आदि प्रमुख हैं। आजकल एम.एस. वर्ड तथा ऐल्डस पेजमेकर आदि कार्यक्रम भी काफी प्रचलित हो गए हैं।

कंप्यूटर एवं हिन्दी

1977 तक हिन्दी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था जो कंप्यूटर पर क्रियान्वित हो सके। 1977 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) कंपनी ने 'फोर्ट्रान' नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिन्दी को कंप्यूटर पर उतारा। 1980 के आस-पास दिल्ली की डी.सी.एम. नामक कंपनी और बिरला विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान के संयुक्त प्रयास से भारत में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर **सिद्धार्थ** का विकास हुआ। इसमें 'शब्दमाला' नामक कार्यक्रम तैयार किया गया। यह

अध्याय
29

गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर (शीर्षक, भावार्थ एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या)

इस अध्याय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-प्रथम (भाषा)** के सामान्य हिन्दी वाले भाग से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए गद्यांशों से संबंधित प्रश्न तथा गद्यांशों के विषय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आगामी उत्तराखंड राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य हिन्दी वाले भाग में पूछे जाने योग्य संभावित गद्यांशों तथा उनसे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

दिये गए गद्यांशों का उपयुक्त शीर्षक संबंधी प्रश्न का उत्तर देने के लिये उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा पढ़ने के उपरांत उसका मूल भाव समझ में आ जाएगा कि गद्यांश का मूलभाव क्या है, इसी प्रकार अन्य पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिये पहले प्रश्नों को पढ़ना एवं समझना चाहिये कि प्रश्न क्या उत्तर जानना चाहता है, उसके उपरांत ही गद्यांश को पढ़ते समय प्रश्न का सही जवाब खोजें। अत: इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के संबंध में यही तरीका (विधि) अपनाने का प्रयास करें।

गद्यांश-1

कभी-कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दु:ख पहुँचाने के अभिप्राय से नहीं होता क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग-भंग करता देखें, तब समझ लेना चाहिये कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है अर्थात् जिसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दु:ख पहुँचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दु:ख पहुँचाया है, उसमें दु:ख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। कभी ऐसे ही मनुष्य अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़-पत्थर तोड़ने लगता है।

उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिये:

(क) गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिये।

(ख) गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिये।

(ग) रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिये।

उत्तर:

(क) गद्यांश का उपयुक्त **शीर्षक- 'क्रोध-प्रभाव'।**

(ख) गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में:

कभी-कभी लोग अपनों से झगड़ा करके क्रोधवश खुद को चोट पहुँचाने लगते हैं अर्थात् सिर पटकने लगते हैं। उनका खुद को चोट पहुँचाने अर्थात् सिर पटकने का अभिप्राय खुद को दु:खी करने से नहीं होता है, बल्कि वे खुद को चोट उस व्यक्ति के लिये पहुँचाते हैं जिसे उनके चोट लगने पर फर्क पड़ता है, न कि बेगानों के लिये। जब कोई व्यक्ति गुस्से में अपना सिर पटकने अथवा खुद को नुकसान पहुँचाने लगता है तो हमें यह समझना चाहिये कि कोई है जिसे उसके सिर पटकने का फर्क पड़ता है। क्योंकि गैरों से कोई शिकायत नहीं करता, शिकवा तो अपनों से ही होता है। जब अपनों की गलती से कोई क्रोधित हो जाता है तथा अपना नुकसान खुद करने लगता है तो इसका अभिप्राय अपने को कष्ट पहुँचाना नहीं बल्कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना तथा यह उम्मीद करना कि इस तरह की गलती आगे न दुहराई जाए, इसलिये व्यक्ति क्रोध में अपना सिर पटककर उन लोगों को यह दिखाना चाहता है जिनको उसके दु:ख या कष्ट से तत्काल में तो नहीं पर बाद में अवश्य पीड़ा पहुँचाती है। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि जिसने दु:ख पहुँचाया है उसकी वास्तविक मंशा क्या थी, अचानक पैर कुचल जाने पर वह किसको मार बैठता है और कभी कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है क्योंकि व्यक्ति की विवेक-बुद्धि सही से कार्य नहीं करती है अर्थात् नष्ट हो जाती है।

अध्याय
30

गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर (शीर्षक, संक्षेपण एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या)

इस अध्याय के अंतर्गत उत्तराखंड (राज्य सेवा) परीक्षा के लिये निर्धारित किये गए नवीन (नये) पाठ्यक्रम (सिलेबस) को ध्यान रखते हुए तथा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई राज्य प्रशासनिक (सिविल) सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र– 'भाषा' में से सामान्य हिन्दी वाले भाग में गद्यांश से संबंधित शीर्षक, संक्षेपण एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या से संबंधी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन बातों को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

शीर्षक

यह मूल पाठ के केंद्रीय भाव से संबंधित होता है। यह मूल पाठ का अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्द या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। मूल पाठ के शीर्षक को परखने या अनुमान लगाने हेतु सबसे उपयुक्त तरीका यह होता है कि यदि हम दिये गए मूल पाठ को पढ़कर लगभग उसी प्रकार का अवतरण लिखने में सफल होते हैं तो समझो वही उपयुक्त शीर्षक है। इसी प्रकार यदि पाठ में शीर्षक से संबंधित एक से अधिक विकल्पों का अभाव हो, तब आकलन कीजिये कि उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे बेहतर होगा तब यह समझो वही उचित शीर्षक है।

संक्षेपण

किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, व्याख्या, भाषण, पत्र, लेख आदि के सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण को संक्षेपण कहते हैं। डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद के अनुसार, "किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को 'संक्षेपण' कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो।" संक्षेपण में मूल संदर्भ के विचारों को इस प्रकार संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है कि उसमें मूल अवतरण के सभी विचार आ जाएँ। संक्षेपण को पढ़ लेने के बाद मूल अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षेपण में अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है। इसमें कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक विचारों, भावों तथा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है।

संक्षेपण की विशेषताएँ

- **पूर्णता–** संक्षेपण अपने आपमें पूर्ण होना चाहिये। इसके मूल संदर्भ में सभी विचार आने चाहिये तथा मूल के अनुरूप ही विचारों की गंभीरता भी बनी रहनी चाहिये। संक्षेपण पढ़ने पर मूल अवतरण के सभी विचार एवं भाव स्पष्ट हो जाने चाहिये।
- **संक्षिप्तता–** संक्षेपण के मूल में उसकी संक्षिप्तता का गुण है। अनावश्यक शब्दों को छाँटकर तथा मुख्य विचारों को सामासिक शैली में सारगर्भित रूप में व्यक्त करना ही संक्षेपण की विशेषता है। सामान्यतः संक्षेपण मूल संदर्भ का एक-तिहाई हिस्सा/भाग होता है।
- **स्पष्टता–** संक्षेपण में अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिये। संक्षेपण को पढ़ने से मूल अवतरण का आशय स्पष्ट हो जाना चाहिये।
- **भाषा की सरलता–** संक्षेपण की भाषा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिये। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिये, जो सरल तथा स्पष्ट हो। अलंकृत भाषा एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।
- **शुद्धता–** संक्षेपण की भाषा व्याकरणसम्मत हो तथा वाक्य शुद्ध होने के साथ ही भाव को स्पष्ट करने वाले हों।

अध्याय
31

इंटरनेट तथा ई-मेल

इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग इसका प्रयोग अच्छी तरह से करना जानते हैं। इस आधुनिक युग में इंटरनेट एक ऐसा वरदान है जिसकी सहायता से आज लगभग सभी तरह के कार्य संपन्न किये जा सकते हैं। यह आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का ऐसा आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है।

31.1 इंटरनेट

इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत-से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। यह कंप्यूटरों का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट ने हमारे जीवन जीने के तरीके में एक क्रांति पैदा कर दी है। इसने संचार, व्यवसाय और सूचना प्राप्त करने के साथ-साथ हमारे मनोरंजन के तरीकों को भी बदलकर रख दिया है।

नेटवर्क क्या है?

नेटवर्क ऐसे कंप्यूटरों का एक समूह है जो विभिन्न उपकरणों के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं ताकि वे एक-दूसरे से संचार कर सकें। नेटवर्क को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नेटवर्क को वर्गीकृत करने का एक तरीका उस क्षेत्र पर आधारित है, जिसे वे कवर करते हैं।

- **लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) :** किसी कार्यालय, भवन अथवा परिसर में एक नेटवर्क है।
- **मैट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (MAN):** किसी नगर के भीतर एक नेटवर्क है।
- **वाइड एरिया नेटवर्क (WAN):** एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार फैला होता है। इसी नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। हम इसे कंप्यूटरों का वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिये उनके छोटे नेटवर्क्स को जोड़कर बनाया जाता है। इंटरनेट का इतिहास काफी दिलचस्प है। थोड़े से उपयोगकर्त्ताओं से प्रारंभ करके आज पूरे विश्व में इसके करोड़ों उपयोगकर्त्ता हैं। जब आप नेट पर होते हैं तो आप इस व्यापक समूह का एक हिस्सा बन जाते हैं। लाखों-करोड़ों कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ने के लिये विशेष केबल्स, टेलीफोन लाइनें, उपग्रह माइक्रोवेव्स और अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में कुछ शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें सर्वर कहा जाता है जो करोड़ों कंप्यूटरों द्वारा दी गई कमांड्स को संसाधित करते हैं।

इंटरनेट शब्दावली

वर्ल्ड वाइड वेब: वर्ल्ड वाइड वेब से आशय उन असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों से है, जो मकड़ी के एक जाल की तरह परस्पर जुड़े होते हैं। इन दस्तावेज़ों को वेब पृष्ठ कहा जाता है। यह www ही है, जो इंटरनेट को उपयोगकर्त्ता सापेक्ष और बहुकार्यात्मक बनाता है। इसी के द्वारा आप इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में दर्ज़ सूचनाओं तक पहुँच पाते हैं।

वेब पेज

वेब पेज, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है। वेब पेज़ को एक कंप्यूटर भाषा, जिसे Hyper Text Markup Language (HTML) कहा जाता है, में लिखा जाता है। वेब पृष्ठों में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनीमेशन, ध्वनि और वीडियो हो सकते हैं। वेब पृष्ठ संबद्ध शब्दों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, जिन्हें हाइपरलिंक कहा जाता है। जब हम इन शब्दों पर क्लिक करते हैं तो हम अन्य वेब पृष्ठ, चित्र, गीत अथवा मूवी से लिंक हो जाते हैं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456